

1. प्रदीप कुमार आत्मज देवीलाल परमार (मोची), निवासी 265- अशोकनगर, महिला आश्रम के पास-भीलवाडा तहसील भीलवाडा।

- -प्रार्थी

बनाम

1. लादी पत्नी रामचन्द्र नायक, निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
2. समता पुत्री रामचन्द्र नायक, निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रेम पुत्री रामचन्द्र नायक, निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गंगा पत्नी नवरतन बलाई, निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
5. दुदाराम आत्मज धन्ना नायक, निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 07.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हलेड, पटवार हल्का हलेड, भू-अभिलेख क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 1300/1 रकबा 0-08 बीघा, आराजी संख्या 1301/2 रकबा 0-12 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 1-00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 व 04 उपस्थित व विपक्षीगण संख्या 2, 3, 5 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हलेड, पटवार हल्का हलेड, भू-अभिलेख क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 1300/1 रकबा 0-08 बीघा, आराजी संख्या 1301/2 रकबा 0-12 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 1-00 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 100/- अक्षरे एक सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजलक्ष्मी महल)